

ए. प्रशासन
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक :

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी,
नागर विमानन मंत्रालय,
नई दिल्ली

विषय : श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा जीपीएफ खाता संख्या एमसीए/सचिवालय/..... से
आहरण

महोदय,

मुझे जीपीएफ नियम, 1960 के नियम 16(1) के साथ पढ़े जाने वाले नियम 15(1)(ए)(सी) के अंतर्गत श्री/श्रीमती/सुश्री..... द्वारा अपने जीपीएफ खाता संख्या एमसीए/सचिवालय/..... से के लिए खर्चों को पूरा करने हेतु रुपये (रुपये मात्र) का आहरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की जानकारी देने का निदेश हुआ है।

2. आहरित की जाने वाली राशि श्री/श्रीमती/सुश्री..... के जीपीएफ में जमा राशि के आधे से अधिक है। परन्तु यह उनके जीपीएफ खाते के अंतिम शेष के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होती है। उनका मूल वेतन रुपये/- है।

3. आज की तारीख को श्री/श्रीमती/सुश्री..... के जीपीएफ खाते में जमा अंतिम शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

- I. वर्ष के लिए अकाउंट स्लिप के अनुसार अंतिम शेष : रुपये/-
 - II. से तक बाद में जमा राशि : रुपये/-
 - III. कॉलम (i) और (ii) का योग : रुपये/-
 - IV. बाद में किया गया आहरण, यदि कोई है : रुपये/-
 - V. स्वीकृति की तारीख को अंतिम शेष कॉलम (iii) घटा (iv) : रुपये/-
4. वर्ष के लिए अकाउंट स्टेटमेंट के बाद इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री..... को आंशिक अंतिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

भवदीय,

(अनूप पंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि अग्रोषित :

- I. रोकड़ अनुभाग।
- II. श्री/श्रीमती/सुश्री..... । उनका ध्यान जीपीएफ (सीएस) नियम के नियम 16(2) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार फंड से धनराशि का आहरण की स्वीकृति दिए जाने वाले अंशदाता को स्वीकृतिदाता प्राधिकारी की संतुष्टि करनी चाहिए कि धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया है जिसके लिए उसका आहरण किया गया था। अतः इस आशय का प्रमाणपत्र, कि उपरोक्त के संबंध में स्वीकृत आहरण उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है, धनराशि आहरित करने से तीन (3) माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- III. व्यक्तिगत फाइल।
- IV. आदेश बंडल।